न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/87/2023 रजू दिनांकः 19.06.2023 रजि0 न0 2023/550

अपीलार्थीः–
श्री लोकराम पुत्र श्री छाजूराम प्रजापत, निवासी तेजपुरा, पो0 सोडावास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 27.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.06.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र कमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/995 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 09.03.2023 के माध्यम से परिवाद प्रा0पत्र दिनांक 22.02.23 के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी किन्तु परिवाद प्रा0पत्र दिनांक 22.02.2023 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की गई जो कार्यालय को उपलब्ध कराने बाबत पत्रांक 585 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से लिखे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा 6(1)बी के आलोक मे अपूर्ण आवेदन की स्थिति में सूचना आवेदन खरिज किया जाकर निस्तारित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0) ★

(पुखराज सैन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)